

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

कलेक्टर

मुकाम

बांदाकुई

क्रिसम मुकदमा क्रिसम मुकदमा
 क्रिसम मुकदमा क्रिसम मुकदमा
 क्रिसम मुकदमा क्रिसम मुकदमा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

21/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कर्तव्य स्थान/प.ओ. साब साब में कर्तव्य होने से जनरल तारीख पेशी हो गई रक्त आदेश की पालना में दिनांक 25/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

25/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कर्तव्य स्थान/प.ओ. साब साब में कर्तव्य होने से जनरल तारीख पेशी हो गई रक्त आदेश की पालना में दिनांक 28/6/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

28/24 फतावली पेश हुई। वकील उमरपुत्रा रक्षण जामी शर्तें उपस्थित काल। एन्डोर्सिंग पर हस्ताक्षर किये गये। जामी फल काली तिथिधारता पर प्रामाणिक पेशी हुई। वास्ते एन्डोर्स फतावली 1.7-2024 को पेश हो।

उमरपुत्रा

उपखण्ड अधिकारी
बांदाकुई

1/24 फतावली पेश हुई। वकील जामी कर्तव्य जामी बंधन पर मगन किया गया। जामी फल में वर्णित हस्तों एवं संलग्न दस्तावेजों

2/24

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहम
हुक्म
में जो

का फौजदारी जिला। जमाने के रूप में उल्लेख
में वर्णित जिला है कि जमाने की कसबनाम
व खातेदारी हाल जमाने नं. 453/0-10
ग्राम बाढ़ बगीची बौदीकुई तह. बसवा हाल-
तह. बौदीकुई जिला- रोजा में स्थित है जिसका
जत नं. 128/1। उक्त पक्षीवा वाले ग्राम
बाढ़ बगीची बौदीकुई तह. बसवा शा. जो
जमाने को फौजदारी विरासत में मिली है उक्त
संबंधित जमाने संवत् 2012 से 2036 वादी
के रूप में के नाम खातेदारी में रजि. है लेकिन
ग्राम बाढ़ बगीची का मिसल खंडोबस्त संवत्
2052 लगाने 2071 में हुआ तो खंडोबस्त विभाग
के फौजदारी में रजि. व माल के खिलाफ
जाकर विवादित जमाने को गलत तरीके से
जमाने जमाने कर दी। जबकि माल के
जमाने जमाने नहीं है। फौजदारी विवादित
जमाने के अन्तर्गत एक कार्रवाई जाहिर करते
हुए जमाने जमाने खातेदार हुआ जाहिर
करते हैं और जमाने को जमाने बदल
करके कसब करना चाहते हैं और वादी के
कार्यवाही करने में रुकावट व मजहमत कसे
है। फौजदारी विवादित जमाने निषेधाज्ञा
के पावले जमाने जमाने नं. 453
तह. बसवा हाल तह. बौदीकुई से जमाने के नाम
कार्यवाही करने में किसी प्रकार की रुकावट
व मजहमत न करें। खंडोबस्त के गलत इन्तजाम के
निश्चार पर विवादित जमाने कसब लागू के
जाहिर करे। जमाने के संलग्न जमाने

अहम

ख
१

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

जमा कर) संवत् - 2076-79 ग्राम-काठ पगोनी
 खाला सं. 159 नंमा, सुराना - 1 के वाइग्रह मय
 जेठपुर (का बाडी) एवं ही मिसरी खालदारी का
 पंचायत के काठ एवं ही हस्तावेगारों के कावलोकन
 से वाइग्रह मय जामा के काठ दफ्तरी होकर
 फरत ही तदावसार प्राइम जेठपुरी वसे सुविधा
 का संतुलन एवं सुव्यवस्था स्थापित कर सिद्धांत
 के अन्तर्गत के फरत में होकर डिपेंड करीर होगए
 फरत: जामा खाम्पल स्वीकार किया जामा डिपेंड
 करीर नही होगए फरत: जामा वधस पर
 मनन करे एवं पमावली के कावलोकन के
 फरत पर जामा जामना पत्र सुस्थाई निषेधाज्ञा
 कोषणीय नही होके से खारिज किया जागए
 पमावली जिलालपुरा होकर काउ तकनील
 शामिल हएतनु हो।

०१.०७.२५
 उपखण्ड अधिकारी
 बादीकुई